

राजस्थान सरकार

राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत अवकाश के लिए आवेदन-पत्र का प्रपत्र

1. आवेदक का नाम
2. पद नाम
3. विभाग, कार्यालय और अनुभाग
4. वेतन
5. गृह किंवद्या भत्ता, स्वाच्छा भत्ता, या वर्तमान पद पर प्राप्त अन्य क्षतिपूर्ति भत्ता
6. आवेदित अवकाश का प्रकार और उसकी अवधि तथा दिनांक जिससे उसकी आवश्यकता है
7. यद्यपि तथा छुट्टियां यदि कोई हों, जिन्हें अवकाश के पहले या बाद में जोड़ने का प्रस्ताव हो
8. अवकाश के लिए आवेदन देने के कारण (यदि वह मुख्यालय के बाहर जाने का विचार रखता हो तो विभिन्न स्थानों का पूछा पता, जहाँ ऊके जाने की सम्भावना हो)
9. गत अवकाश से लौटने का दिनांक तथा उस अवकाश का प्रकार तथा अवधि
10. (क) मैं, कियायती अन्तर्वित (कम्यूटेड अवकाश) के दौरान प्राप्त किया गया अवकाश-वेतन और अर्ध-वेतन अवकाश जो उस दशा में जबकि राजस्थान सर्विस लल्स के नियम 93 के उप-नियम (ग) के अनुच्छेद (३) के नीचे दिये गये परन्तुके के प्रावधान, ऊके अवकाश की समाप्ति पर अथवा उसके दौरान, सर्विस से मेरे विवरण होने की स्थिति में प्रयुक्त नहीं किये गये होते, अनुमत नहीं होताकी अवधि में अनुमत वेतन की अन्तर यादि वापस अदा करने का वचन देता हूँ।
(ख) मैं, अवकाश अनोपार्जित जो कि उस दशा में जबकि राजस्थान सर्विस लल्स के नियम 93 (ग), ऊके अवकाश की समाप्ति पर अथवा उसके दौरान, सर्विस से मेरे स्वेच्छानुगत विवरण होने की स्थिति में प्रयुक्त नहीं किया गया होता, अनुमत नहीं होता, की अवधि में प्राप्त किये गये अवकाश-वेतन को वापस अदा करने का वचन देता हूँ।
11. अवकाश का पता :-

आवेदक के छताक्षर (दिनांक सहित)
पद नाम

12. नियंत्रण अधिकारी की अध्युक्ति और/या सिफारिश

छताक्षर (दिनांक सहित)
पद नाम

अवकाश अनुमत देने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

(राजपत्रित अधिकारियों के मामले में महालेखापाल द्वारा)

13. प्रमाणित किया जाता है किनियमों के नियम..
..... के अधीन

(अवकाश का प्रकार)

दिनांक से तक का अनुमत है।
(अवधि)

छताक्षर (दिनांक सहित)
पद नाम

14. अवकाश की स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी की आज्ञा।

छताक्षर (दिनांक सहित)
पद नाम

यदि आवेदक क्षतिपूर्ति भत्ता प्राप्त कर रहा हो तो अवकाश की स्वीकृति देने वाले पदाधिकारी को लिखना चाहिये कि वह अवकाश की समाप्ति पर उसी पद पर या ऐसे पद पर जहाँ ऐसा ही अनुमत हो, कार्य करेगा।